भारत सरकार

गृह मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2617

दिनांक 16 दिसम्बर 2025 / 25 अग्रहारण, 1947 (शक) को उत्तर के लिए

उत्तर-पूर्व सीमा से वन्यजीवों की तस्करी

†2617 डॉ. अमर सिंहः

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मंत्रालय को दक्षिण-पूर्व एशिया और लैटिन अमेरिका से विदेशी प्रजातियों सहित देश की उत्तर-पूर्व सीमाओं के माध्यम से वन्यजीवों की बढ़ती तस्करी की जानकारी है;

(ख) यदि हाँ, तो पिछले पाँच वर्षों में उतर-पूर्व के राज्यों में दर्ज वन्यजीव तस्करी के मामलों की संख्या कितनी है और इसका राज्य-वार ब्यौरा क्या है और ऐसे मामलों में दोषसिद्धि दर कितनी है;

(ग) क्या उत्तर-पूर्व में तैनात सीमा सुरक्षा बल, असम राइफल्स और अन्य अर्धसैनिक बलों को वन्यजीव तस्करी का पता लगाने और उसे रोकने के लिए प्रशिक्षित और सुसज्जित किया गया है; और

(घ) यदि हाँ, तो ऐसे प्रशिक्षण कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है और वन्यजीव संरक्षण अभिकरणों के साथ समन्वय तंत्र का ब्यौरा क्या है ?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री नित्यानंद राय)

(क) और (ख): मंत्रालय को सीमाओं पर वन्यजीवों की होने वाली तस्करी संज्ञान में है, तथापि, सीमा रक्षक बल, अपराधियों को पकड़कर इस समस्या से प्रभावी ढंग से निपट रहे हैं। असम, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय और त्रिपुरा राज्यों में वन्यजीवों की तस्करी और इसे जब्त करने के मामले सामने आए हैं। इस सम्बन्ध में दर्ज मामलों की संख्या और सजा की दर का राज्य-वार विवरण मंत्रालय नहीं रखता है।

लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2617, दिनांक 16.12.2025

(ग) और (घ): सीमा रक्षक बलों के पास वन्यजीवों की तस्करी का पता लगाने के लिए कोई विशेष प्रशिक्षण या उपकरण उपलब्ध नहीं हैं। वन्यजीवों की तस्करी के मामले तब पकड़े जाते हैं जब नियमित बॉर्डर निगरानी के दौरान उनकी तस्करी बॉर्डर पर होती है। यदि बॉर्डर निगरानी के दौरान कोई वन्यजीव / विदेशी प्रजाति बरामद / ज़ब्त होती है, तो उसे संबंधित राज्यों के वन विभागों / सीमा शुल्क विभागों को सौंप दी जाती है। वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो (WCCB) के साथ तालमेल के लिए प्रणाली उपलब्ध हैं। संबंधित सिविल अधिकारियों के साथ जिला-स्तरीय बैठकें नियमित रूप से आयोजित की जाती हैं जिनमें इस तरह के मुद्दों पर चर्चा और समन्वय पर विचार किया जाता है।

*****